**No. 1/4-2021 AS (2)**

To

 Hon’ble Speaker,

 Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh

 **Dated, Chandigarh the March, 2023**

**Subject:- The Haryana School Education (Amendment) Bill, 2023.**

Sir,

 I am sending herewith four copies of the **Haryana School Education (Amendment) Bill, 2023** which is to be presented in current Session of the Haryana Vidhan Sabha. The following documents of English and Hindi Versions in respect of the said Bill are sent herewith:-

1. The Haryana School Education (Amendment)

Bill, 2023 (English and Hindi, both versions) (4 Copies)

1. Statement of Objects and Reasons duly signed by the

Undersigned (English and Hindi, both versions) (4 Copies)

1. Notice of Motion relating to Public Business duly signed

by the Undersigned (English and Hindi, both versions)

 (4 Copies)

1. Extract of original Sections (4 Copies)

(English and Hindi, both versions)

1. L.R. Advice.

2. I am also to request you to kindly order pre-publication of the **Haryana School Education (Amendment) Bill, 2023** inHaryana Government Gazette (Extra-Ordinary) under proviso to Rule 128 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

3. I am also to request you to waive off the condition of 15 days notice of introducing the Bill under proviso to Rule 122 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly and to admit the Bill at a short notice due to procedural delay.

4. The aforesaid Bill is not a Money Bill.

 Yours faithfully,

 **(Kanwar Pal)**

 School Education, Minister, Haryana

**Endst. No. Even Dated, Panchkula the**

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Secretary to Chief Minister, Haryana.
2. Chief Secretary to Govt. Haryana (in Political Branch six copies).
3. Chief Principal Secretary to Chief Minister, Haryana.
4. Additional Principal Secretary to Chief Minister, Haryana.
5. Senior Secretary to Chief Minister, Haryana (9 copies).
6. Special Secretary to Chief Secretary, Haryana.

 **Special Secretary School Education,**

 **for Principal Secretary to Govt. Haryana,**

 **School Education Department**

|  |  |
| --- | --- |
|  | HARYANA BILL NO. OF 2023THE HARYANA SCHOOL EDUCATION (AMENDMENT) BILL, 2023ABILL further to amend the Haryana School Education Act, 1995. Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:- |
| **Short title.** | 1. This Act may be called the Haryana School Education (Amendment) Act, 2023. |
| **Amendment of section 2 of Haryana Act 12 of 1999**. | 2. In section 2 of the Haryana School Education Act, 1995 (hereinafter called the principal Act),-(i) clauses (b) and (c) shall be omitted; and(ii) item (ii) of clause (d) shall be omitted.  |
| **Omission of section 6 of Haryana Act 12 of 1999.** | 3. Section 6 of the principal Act shall be omitted. |
| **Amendment of section 7 of Haryana Act 12 of 1999.** | 4. Sub-sections (1) and (2) of section 7 of the principal Act shall be omitted. |
| **Omission of sections 8, 9, 10 and 11 of Haryana Act 12 of 1999.** | 5. Sections 8, 9, 10 and 11 of the principal Act shall be omitted. |
| **Amendment of section 16 of Haryana Act 12 of 1999.** | 6. Sub-sections (1) and (2) of section 16 of the principal Act shall be omitted. |
| **Substitution of section 17 of Haryana Act 12 of 1999.** | 7. For section 17 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:- “17. School funds.- (1) In every recognized school, there shall be a fund, to be called the School Fund which shall include the following:-(a) fee;(b) any charges and payment which may be realised by the school for other specified purposes; and(c) any other contributions, endowments, gifts and the like.(2) (a) Income derived by recognised school by way of fees shall be utilised only for such educational purposes, as may be prescribed; and (b) charges and payments realised and all other contributions, endowments and gifts received by the school shall be utilised only for the specific purpose for which they were realised or received. The unspecified gifts shall also be used for academic purpose.(3) The Managing Committee of every recognised school shall file every year with the Director such duly audited financial and other returns as may be prescribed and every such return shall be audited by such authority, as may be prescribed.”. |
| **Amendment of section 18 of Haryana Act 12 of 1999.** | 8. In sub-section (1) of section 18 of the principal Act, the word “aided” shall be omitted. |
| **Amendment of section 21 of Haryana Act 12 of 1999.** | 9. Clause (a) of sub-section (4) of section 21 of the principal Act shall be omitted. |
| **Amendment of section 24 of Haryana Act 12 of 1999.** | 10. In sub-section (2) of section 24 of the principal Act,-(i) clause (k) shall be omitted; and(ii) in clause (p), for the words “by an aided school”, the words “by a school” shall be substituted. |
|  |  STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS |

**2023 का हरियाणा विधेयक संख्या .....**

 **हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2023**

 **हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995, को**

 **आगे संशोधित करने के लिए**

 **विधेयक**

भारत गणराज्य केचौहतरवेंवर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **संक्षिप्त नाम।** | 1.  | यह अधिनियम हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2023, कहा जा सकता है। |
| **1999 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 2 का संशोधन।** | 2.  | हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,- |
|  | (i) | खण्ड (ख) तथा (ग) का लोप कर दिया जाएगा; तथा |
|  | (ii) | खण्ड (घ) की मद (ii) का लोप कर दिया जाएगा। |
|  |  |  |
| **1999 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 6 का लोप।** | 3. | मूल अधिनियम की धारा 6 का लोप कर दिया जाएगा। |
|  |  |  |
| **1999 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 7 का संशोधन।** | 4. | मूल अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) तथा (2) का लोप कर दिया जाएगा। |
|  |  |  |
| **1999 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 8, 9, 10 तथा 11 का लोप।** | 5. | मूल अधिनियम की धारा 8, 9, 10 तथा 11 का लोप कर दिया जाएगा। |
|  |  |  |
| **1999 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 16 का सशोधन।** | 6. | मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (1) तथा (2) का लोप कर दिया जाएगा। |
| **1999 के हरियाणा अधिनियम 1999 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 17 का प्रतिस्थापन।** | 7. | मूल अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:- “17. विद्यालय की निधियां.- (1) प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय में, विद्यालय निधि के रूप में ज्ञात एक निधि होगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होगा:-1. फीस ;
2. कोई प्रभार तथा भुगतान, जो अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विद्यालय द्वारा वसूल किए जाएं; तथा

(ग) कोई अन्य अंशदान, विन्यास, उपहार तथा सदृश । (2) (क) मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा फीस के माध्यम से प्राप्त की गई आय, केवल शैक्षिक प्रयोजनों, जो विहित किए जाएं, हेतु उपयोग की जाएगी; तथा (ख) विद्यालय द्वारा वसूले गए प्रभार तथा भुगतान तथा प्राप्त किए गए सभी अन्य अंशदान, विन्यास तथा उपहार, केवल विशिष्टि प्रयोजनों, जिनके लिए वे वसूले या प्राप्त किए गए हैं, हेतु उपयोग किए जाएंगे। अविनिर्दिष्ट उपहारों का शैक्षणिक प्रयोजन हेतु भी उपयोग किया जाएगा।’’। (3) प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय की प्रबन्धक समिति, प्रतिवर्ष सम्यक् रूप से संपरीक्षित वित्तीय तथा अन्य विवरणियां, जो विहित की जाएं, निदेशक को दायर करेगी तथा प्रत्येक ऐसी विवरणी की संपरीक्षा ऐसे प्राधिकारी द्वारा की जाएगी, जो विहित किया जाए।’’। |
|  |  |  |
| **1999 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 18 का संशोधन।** | 8. | मूल अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) में, ’’सहायताप्राप्त’’ शब्द का लोप कर दिया जाएगा। |
|  |  |  |
| **1999 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 21 का संशोधन।** | 9. | मूल अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (4) के खण्ड (क) का लोप कर दिया जाएगा। |
|  |  |  |
| **1999 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 24 का संशोधन।** | 10. | मूल अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (2) में,-(i) खण्ड (ट) का लोप कर दिया जाएगा; तथा(ii) खण्ड (त) में, ’’किसी सहायताप्राप्त विद्यालय द्वारा’’ शब्दों के स्थान पर, ’’किसी विद्यालय द्वारा’’ शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे |
|  |  |  |
|  |  |  उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण। |

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

The majority of employees on the sanctioned posts of the aided schools have been appointed in government schools in 2017-18 as per the provisions of Haryana Voluntary State Education Service Rules, 2017. Only few employees of such aided schools have been left in these aided schools as they have not consented to join in govt. schools. As per the provisions in the Act department is giving aid to the tune of 75% of the salary for these employees. These schools also have employees on unsanctioned/unaided posts and they are claiming equal pay for equal work from the department. Many such cases are pending in the court which may create financial liability on State Exchequer if such cases succeed in the Court of Law.

Provisions for the aided schools were made in the Act of 1995 because there was shortage of govt. schools in the State as per requirement and providing education to the resident children is prime responsibility of the State. As on present condition all geographical locations in State as required by various legal provisions are covered by govt. schools. Hence, there is no need of aided schools in the State.

 **(Kanwar Pal)**

 School Education, Minister,Haryana

**उद्देश्य एंव कारणों का विवरण**

 हरियाणा स्वैच्छिक राज्य शिक्षा सेवा नियम, 2017 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2017-18 में सहायता प्राप्त विद्यालयों के स्वीकृत पदों पर कार्यरत अधिकांश कर्मचारियों को राजकीय विद्यालयों में नियुक्त किया जा चुका है। ऐसे सहायता प्राप्त विद्यालयों में केवल कुछ कर्मचारी इन सहायता प्राप्त विद्यालयों में शेष रह गए है, जिन्होंने राजकीय विद्यालयों में कार्यग्रहण करने हेतु अपनी सहमति नहीं दी थी। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विभाग इन कर्मचारियों के वेतन के लिए 75 प्रतिशत की दर से सहायता दे रहा है। इन विद्यालयों में भी अस्वीकृत/गैर सहायता प्राप्त पदों पर कार्यरत कर्मचारी है और वे इस विभाग से समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग कर रहे है। ऐसे कई मामले न्यायालय में लम्बित है, यदि ये मामले कानून के न्यायालय में सफल हो जाते है तो राज्य राजकोष पर वित्तीय देनदारी बन सकती है।

 सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए प्रावधान 1995 के अधिनियम में किया गया था क्योंकि राज्य में आवश्यकता अनुसार राजकीय विद्यालयों की कमी थी और निवासी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना राज्य की प्रमुख जिम्मेदारी है। वर्तमान स्थिति के अनुसार विभिन्न कानूनी प्रावधानों की अपेक्षानुसार राज्य में सभी भौगोलिक स्थानों को राजकीय विद्यालयों द्वारा कवर किया गया है। इसलिए, राज्य में सहायता प्राप्त विद्यालयों की कोई आवश्यकता नहीं है।

 **(कंवर पाल)**

 **विद्यालय शिक्षा मन्त्री, हरियाणा**

**NOTICE OF MOTION RELATING TO PUBLIC BUSINESS**

**AND INTRODUCTION**

I give notice of the following motion in respect of the Haryana School Education (Amendment) Bill, 2023 :-

1. To move that the Haryana School Education (Amendment) Bill, 2023 be introduced.
2. To move the Bill be taken into consideration at once.
3. To move that the Bill be passed.

 **(Kanwar Pal)**

 School Education, Minister,Haryana

**सार्वजनिक व्यवसाय से सम्बन्धित प्रस्ताव की सूचना और परिचय**

 मैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2023 के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना देता हॅूः-

(क) प्रस्ताव करना कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2023 को पेश किया जाए।

(ख) विधेयक को पेश करने के लिए तुरन्त विचार किया जाना चाहिए।

 (ग) प्रस्ताव करना कि विधेयक पारित किया जाए।

  **(कंवर पाल)**

 विद्यालय शिक्षा मन्त्री, हरियाणा

**Extract of Haryana School Education Act, 1995**

**2.** (b) “aid” means any aid granted to a recognised school by the Government, a local authority or any other authority designated by the Government, Director or a local authority;

(c) “aided school” means a recognised private school which is receiving aid in the form of grant from the Government;

(d) (ii) in case of disbursement of grant of recognised private aided schools, the authority designated by the Director;

**6.** (1) The Government may pay to the schools prescribed authority, for disbursement of aid to recognised private schools such sums of money as the Government may consider necessary:

 Provided that the schools already under grant-in-aid system, shall continue to receive such grant provided that they comply with the conditions as specified under sub-sections (1) to (5) of this section.

(2) The authority competent to grant the aid may stop, reduce or suspend aid for violation of any of the conditions prescribed in this behalf.

(3) The aid may cover such part of the expenditure of the school as may be prescribed.

(4) No payment, out of the aid given for salary, allowances and provident fund of employees of the school, shall be made for any other purpose.

(5) No un-recognised school shall be eligible to receive any aid or any benefit made available to private school by the Government or any other agency of the Government.

**7.** (1) The management of every aided school shall furnish to the appropriate authority annually, a statement containing a list of school property together with such particulars as may be prescribed.

(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no transfer, mortgage or lease of any movable or immovable property of an aided school, not being the property specified in the rules, shall be made except with the previous permission of the appropriate authority: Provided that where the appropriate authority omits or fails to dispose of the application for such permission with in ninety days from the date of receipt of the application in this behalf, the permission shall , on the expiry of the said period of ninety days, be deemed to have been granted.

**8.** (1) The Government may make rules regulating:—

(a) uniform code of service rules for employees in the State relating to pay, allowances, dismissal, removal, suspension, leave, conduct and discipline, provident fund, travelling allowance and other cognate matter;

(b) essential qualifications for various classes of employees; and

(c) uniform scales of pay for various classes of employees :

Provided that the Government may exempt any aided school or class of an aided school from operation of the provision of this section for such period at it may think fit on grounds of economic capacity thereof.

(2) Subject to any rules that may be made in this behalf no employee of a recognised private aided schools shall be dismissed, removed or reduced in rank nor shall his services otherwise terminated except with the prior approval of the Director or his nominee :

Provided that this section shall not apply where an employee is dismissed removed or reduced in rank on the ground of conduct which had led to his con­viction on a criminal charge involving moral turpi­tude.

(3) Any employee of a private aided school, who is dismissed, is removed or reduced in rank may, within three months from the date of communication to him of the order of such dismissal, removal or reduction in rank, appeal against such order to the Director who may after giving the parties an opportunity of being heard and after making such further enquiry, if any, as he may consider necessary, pass such order as he thinks fit, confirming modifying or reversing the decision or order appealed against.

(4) Any employee of the aided school who has been suspended by the managing committee, the managing committee will hold an enquiry within three months of his suspension. In case the enquiry is not completed within three months, the managing committee will have to take permission from the District Education Officer for the extension of time.

**9.** Every employee of an aided school shall be governed by such code of conduct as may be prescribed and on the violation of any provision of such code of conduct, the employee shall be liable to such disciplinary action as may be prescribed.

**10.** (1) If the Director is satisfied that the managing committee or the manager has indulged in any financial irregularity or administrative mismanagement or neglected to perform any of his duties imposed on it by or under this Act or any rule made there under and that it is expedient in the interest of school education, to take over the management of such school, he may after giving the managing committee or the manager of such school, a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action, take over the management of such school for a limited period not exceeding two years :

Provided that where the management of a school has been taken over for a period of two years or less, the Director may, if he is of the opinion that in order to secure proper management of the school it is expedient that such management should continue to be in force after the expiry of said limited period he may from time to time, issue directions for the continuance of such management for such period not exceeding one year at a time as he may think fit, so, however, that the total period for which such management is taken over shall not in any case exceed three years.

(2) Whenever the management of any school is taken over under sub-section (1), every person incharge of management of such school immediately before its management is taken over, shall deliver possession of the school property to the Director or any officer authorised by him in this behalf.

(3) After taking over the management of any school under this section the Government may arrange to manage the school through a person (hereinafter referred to as the “Administrator”) authorised by the Director.

(4) Where the management of any school has been taken over under sub-section (1), the managing committee or manager of such school may, within three months from the date of taking over, appeal to the Secretary, who may after considering the representation made by managing committee or manager, pass such orders, including an order for the restoration of the management or for the reduction of the period during which the management of such school shall remain vested in the Director, as he may deem fit.

(5) Where the management of a school has been taken over under this section, the Government shall pay such rent as may be payable of the building of the school to the person entitled to receive it, as was being paid by the managing committee or the manager immediately before the management of such school was taken over.

(6) During such period as any school remains under the management of an Administrator–

(a) the service conditions, as approved by the Director, of the employee of the school who were in employment immediately before the date on which the management was taken over, shall not be varied on to their disadvantage;

(b) all educational facilities which the school has been affording immediately before such management was taken over shall continue to be afforded ;

(c) the school fund, the pupil fund, and any other existing fund shall continue to be available to the Administrator for being spent for the purpose of the school ; and

(d) no resolution passed at any meeting of the managing committee of such school shall be given effect to unless approved by the Director.

**11.** Nothing contained in section 10 shall apply to aided minority school.

**16.** (1) No aided school shall levy fee or collect any other charge or receive any other payment except those specified by the Director.

 (2) Every aided school having different rates of fees or other charges or different funds shall obtain prior approval of the prescribed authority before levying such fees or collecting such charges or creating such funds.

**17.** (1) In every aided school, there shall be a fund, to be called as the school fund which shall include the following :

(a) any aid granted by the Government ;

(b) income accruing to the school by way of fees, charges or other payments ; and

(c) any other contribution, sale of property, rent from property, endowments and the like.

 (2) The school fund and all other funds including the pupils fund established with the approval of the Government, shall be accounted for and operated in accordance with the rules made under this Act.

 (3) In every recognised un-aided school, there shall be a fund, to be called the “Recognised Un-aided School Fund”.

It shall include the following :–

(a) fees ;

(b) any charges and payment which may be realised by the school for other specified purposes; and

(c) any other contributions, endowments, gifts and the like

(4) (a) Income derived by un-aided schools by way of fees shall be utilised only for such educational purposes as may be prescribed ; and

(b) charges and payments realised and all other contributions, endowment sand gifts received by the school shall be utilised only for specific purpose for which they were realised or received. The unspecified gifts shall also be used for academic purpose.

 (5) The Managing Committee of every recognised private school shall file every year with the Director such duly audited financial and other returns as may be prescribed and every such return shall be audited by such authority as may be prescribed.

**18.** (1) For the purpose of any public examination, any aided middle, high or senior secondary school shall be affiliated to the Board of School Education, Haryana.

**21.** (4) (a) stoppage of aid (in case of aided schools);

**24.** (k) the conditions under which aid may be granted to recognised school and on the violation of which aid may be stopped, reduced or suspended;

(p) fees and other charges which may be collected by an aided school;

**हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 का उद्धरण**

**2.** (ख) “सहायता” का अर्थ सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या सरकार, निदेशक या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नामित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय को दी गई कोई सहायता है;

(ग) “सहायता प्राप्त विद्यालय” का अर्थ मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय है जो सरकार से अनुदान के रूप में सहायता प्राप्त कर रहा है;

(घ) (ii) मान्यता प्राप्त निजी सहायता प्राप्त विद्यालय के अनुदान वितरण के मामले में, निदेशक द्वारा नामित प्राधिकारी;

**6.** (1) सरकार विद्यालयों को सहायता के तौर पर ऐसी धनराशि के वितरण हेतु निर्धारित प्राधिकारी को भुगतान कर सकती है, जो सरकार आवश्यक समझती हैः

परन्तु यह अनुदान सहायता प्रणाली के तहत पहले से ही आने वाले विद्यालय इस तरह के अनुदान को प्राप्त करते रहेगें, परन्तु वे इस खण्ड के उप खण्ड़ों (1) से (5) के तहत निर्दिष्ट शर्तो का पालन करे।

(2) सहायता प्रदान करने वाला सक्षम प्राधिकारी इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन होने पर सहायता को रोक, कम या निलंबित कर सकता है।

 (3) विद्यालय के खर्च के निर्दिष्ट हिस्से की भरपाई सहायता कर सकती है।

 (4) विद्यालय के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों एंव भविष्य निधि हेतु दी जानी वाली सहायता में से किसी अन्य प्रयोजन हेतु भुगतान नहीं किया जाएगा।

(5) कोई भी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय सरकार या सरकार की किसी अन्य एजेंसी द्वारा निजी विद्यालय को उपलब्ध कराई जाने वाली किसी सहायता या किसी लाभ को प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।

**7.** (1) प्रत्येक सहायता प्राप्त विद्यालय का प्रबन्धन उपयुक्त प्राधिकारी को प्रति वर्ष, एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें विद्यालय की सम्पति की सूची के साथ साथ ऐसे विवरण होगे जो निर्दिष्ट होगें।

(2) उपयुक्त प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना, किसी समय पर लागू किसी अन्य विधि में निहित होते हुए भी, किसी सहायता प्राप्त विद्यालय की किसी चल या अचल सम्पति का, कोई स्थानान्तरण, रहन या पट्टानामा नहीं किया जाएगा, जो नियमों में विनिर्दिष्ट सम्पति नहीं है,

परन्तुक उपयुक्त प्राधिकारी इस तरह की अनुमति के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर इस तरह की अनुमति के लिए आवेदन का निपटान करने में विफल रहता है, तो नब्बें दिनों की अवधि की समाप्ति पर अनुमति प्रदान की गई मानी जाएगी।

**8.** (1) सरकार निम्नलिखित को विनियमित करने वाले नियम बना सकती हैः-

(क) राज्य में कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, बरखास्तगी, निष्कासन, निलंबन, छुट्टी, आचरण और अनुशासन, भविष्य निधि, यात्रा भत्ता और अन्य सम्बन्धित मामलो से सम्बन्धित सेवा नियमों की एक समान संहिता;

 (ख) कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए आवश्यक योग्यता; और

 (ग) कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए समान वेतनमान;

परन्तु सरकार किसी भी सहायता प्राप्त विद्यालय या किसी सहायता प्राप्त विद्यालय की कक्षा को इस खण्ड के प्रावधान के संचालन से ऐसी अवधि के लिए छूट दे सकती है जो वह आर्थिक क्षमता के आधार पर उचित समझे।

(2) इस सन्दर्भ में बनाए जाने वाले किसी भी नियमों के अधीन, किसी मान्यता प्राप्त निजी सहायता प्राप्त विद्यालयों के किसी भी कर्मचारी को निदेशक या उसके नांमाकित व्यक्ति की पूर्व अनुमति के बिना न तो बर्खास्त किया जाएगा, न ही पद से हटाया जाएगा एंव न ही पद से अवनत और न ही उसकी सेवाओं को अन्यथा समाप्त किया जाएगाः

परन्तु यह धारा वहां लागू नहीं होगी जहां एक कर्मचारी को ऐसे आचरण के आधार पर बर्खास्त किया जाता, हटाया जाता है या पद से अवनत किया जाता है, जिसमें नैतिक अधमता से जुड़े आपराधिक आरोप में उसे सजा हुई हो।

(3) निजी सहायता प्राप्त विद्यालय का कोई भी कर्मचारी, जिसे बर्खास्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है या पद से अवनत किया गया, इस तरह के बर्खास्तगी, हटाने या पद से अवनत किए जाने के आदेश की सूचना की तारीख के तीन महीनें के भीतर, ऐसे आदेश के खिलाफ निदेशक को अपील कर सकता है, जो पक्षकारों को सुनवाई के अवसर देने के बाद और इस तरह की जांच करने के बाद, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील को संशोधित करने या उलटने की पुष्टि करते हुए, ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

(4) सहायता प्राप्त विद्यालय का कोई भी कर्मचारी जिसे प्रबंध समिति द्वारा निलंबित किया गया हो, प्रबंध समिति उसके निलंबन के तीन माह के अन्दर जांच करेगी। तीन माह में जांच पूरी न होने की स्थिति में प्रबंध समिति समय विस्तार के लिए जिला शिक्षा अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

**9.** किसी सहायता प्राप्त विद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी ऐसी निर्धारित आचार संहिता द्वारा शासित होगा और ऐसी निर्धारित आचार संहिता के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन पर, कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा।

**10.** (1) यदि निदेशक इस बात से सन्तुष्ट है कि प्रबंध समिति या प्रबन्धक किसी वित्तीय अनियमितता या प्रशासनिक कुप्रबंधन में शामिल है या इस अधिनियम या इसके तहत बनाये गए किसी नियम के द्वारा या उसके तहत उस पर लगाए गए अपने किसी भी कर्तव्य को निभाने में उपेक्षा की है और वह विद्यालय शिक्षा के हित में यह समीचीन है कि ऐसे विद्यालय के प्रबंधन का अधिग्रहण अपने अधीन ले लिया जाए, तो वह ऐसे विद्यालय की प्रबंध समिति या प्रबंधक को प्रस्तावित कार्यवाही के खिलाफ कारण बताने का उचित अवसर देने के बाद ऐसे विद्यालय के प्रबंधन का अधिग्रहण अपने अधीन एक सीमित अवधि, दो वर्ष से अधिक नहीं ले सकता हैः

परन्तु जहां किसी विद्यालय के प्रबंधन का अधिग्रहण दो साल या उससे कम अवधि के लिए लिया गया हो, निदेशक, अगर उनकी राय में वे उचित समझे एंव विद्यालय के उचित प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए यह समीचीन है कि इस तरह के प्रबंधन को उक्त सीमित अवधि की समाप्ति के बाद जारी रखा जाना चाहिए, तो वह समय समय पर इस तरह के विद्यालय के प्रबंधन को जारी रखने के लिए, ऐसी अवधि के लिए निर्देश जारी कर सकता है, जो एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है, हालांकि इस तरह के प्रबंधन अधिग्रहण के लिए कुल अवधि किसी भी मामले में तीन साल से अधिक नहीं होगी।

(2) जब भी किसी विद्यालय का प्रबंधन का अधिग्रहण उप धारा (1) के तहत किया जाता है, ऐसे स्कूल के प्रबंधन का प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति, उसके प्रबंधन के अधिग्रहण से ठीक पहले, इस सम्बन्ध में विद्यालय की सम्पति का कब्जा निदेशक या उसके अधिकृत प्राधिकारी को सौंप देगा।

(3) इस खण्ड के तहत किसी भी विद्यालय के प्रबंधन को संभालने के बाद, सरकार निदेशक द्वारा अधिकृत एक व्यक्ति (बाद में “प्रशासक” के रूप में संदर्भित) के माध्यम से विद्यालय का प्रबंधन करने की व्यवस्था कर सकती है।

(4) जहां किसी विद्यालय के प्रबंधन का अधिग्रहण उप-धारा (1) के अधीन किया गया हो, वहां की प्रबन्धन समिति या प्रबन्धक अधिग्रहण करने की तिथि के तीन माह के भीतर सचिव को अपील कर सकता है जो प्रबंधन समिति या प्रबन्धक द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने उपरान्त ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जिसमें प्रबंधन की बहाली के लिए एक आदेश शामिल है या उस अवधि को कम करने के लिए जिसके दौरान ऐसे विद्यालय का प्रबंधन निदशक में निहित रहेगा, जैसा वह उचित समझे।

(5) जहां इस धारा के तहत किसी विद्यालय के प्रबंधन का अधिग्रहण किया गया है, तब सरकार विद्यालय के भवन के ऐसे किराये, जो देय है, का भुगतान हकदार व्यक्ति को करेगी जैसा कि प्रबंधन समिति या प्रबन्धक द्वारा विद्यालय के अधिग्रहण करने से पहले भुगतान किया जा रहा था।

(6) ऐसी अवधि के दौरान जब कोई विद्यालय प्रशासक के प्रबंधन के अधीन रहता है-

(क) विद्यालय के उस कर्मचारी की, जो प्रबंधन का अधिग्रहण किए जाने की तिथि से ठीक पहले सेवा में थे, निदेशक द्वारा अनुमोदित सेवा शर्तों, में ऐसे परिवर्तन नहीं किए जाएगें, जो उनके लिए अलाभकारी हो।

(ख) सभी शैक्षणिक सुविधाएं, जो विद्यालय द्वारा इस प्रबंधन का अधिग्रहण करने से ठीक पहले प्रदान की जा रही थी, निरन्तर प्रदान की जाती रहेगी;

(ग) विद्यालय निधि, छात्र निधि, और कोई अन्य मौजूदा निधि विद्यालय के उद्देश्य के लिए खर्च किए जाने के लिए प्रशासक के पास उपलब्ध रहेगी; और

(घ) ऐसे विद्यालय की प्रबंधक समिति की किसी भी बैठक में पारित कोई भी प्रस्ताव तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक निदेशक द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।

**11.** सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर धारा 10 की कोई भी बात लागू नहीं होगी।

**16.** (1) कोई भी सहायता प्राप्त विद्यालय निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट फीस के अलावा कोई शुल्क नहीं लगाएगा या कोई अन्य शुल्क वसूल नहीं करेगा या अन्य कोई भुगतान प्राप्त नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक सहायता प्राप्त विद्यालय, फीस की भिन्न भिन्न दरें या अन्य प्रभार या विभिन्न निधियों बारे, ऐसी फीस लगाने या ऐसे प्रभार वसूल करने या ऐसी निधियां सृजित करने से पूर्व निर्धारित प्राधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त करेगा।

**17.** (1) प्रत्येक सहायता प्राप्त विद्यालय में विद्यालय निधि कहलाने वाली एक निधि होगी जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगेः

 (क) सरकार द्वारा दी गई कोई सहायता;

 (ख) फीस, शुल्क या अन्य भुगतानों के माध्यम से विद्यालय को प्राप्त होने वाली आय; और

 (ग) कोई अन्य योगदान, सम्पति की बिक्री, सम्पति से किराया, बंदोबस्ती और इसी तरह।

(2) सरकार के अनुमोदन से स्थापित विद्यालय निधि तथा छात्र निधि सहित अन्य सभी निधियों का लेखा-जोखा और संचालन इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(3) प्रत्येक मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय में, “मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय निधि” नामक एक निधि होगी।

इसमें निम्नलिखित शामिल होंगेः-

(क) शुल्क;

(ख) कोई शुल्क और भुगतान जो स्कूल द्वारा अन्य निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए प्राप्त किया जा सकता है; और

(ग) कोई अन्य योगदान, बंदोबस्ती, उपहार और इसी तरह

(4) (क) गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों द्वारा फीस के रूप में प्राप्त आय का उपयोग केवल ऐसे शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है; और

(ख) विद्यालय द्वारा प्राप्त शुल्क और भुगतान और अन्य सभी योगदान, बंदोबस्ती और उपहार का उपयोग केवल उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए उन्हें वसूल किया गया था या प्राप्त किया गया था। अनिर्दिष्ट उपहारों का उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य के लिए भी किया जा सकता है।

(5) प्रत्येक मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय की प्रबंधक समिति प्रत्येक वर्ष निदेशक के पास विधिवत लेखा परीक्षित वित्तीय और अन्य विवरणियाँ दाखिल करेगी जो निर्धारित की जा सकती हैं और प्रत्येक ऐसी विवरणी का परीक्षण ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

**18.** (1) किसी भी सार्वजनिक परीक्षा के प्रयोजन के लिए, कोई भी सहायता प्राप्त माध्यमिक, उच्च या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा से संबद्ध होगा।

**21.** (4) (क) सहायता बन्द करना (सहायता प्राप्त विद्यालयों के मामले में);

**24.** (ट) वे शर्तें जिनके अधीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सहायता दी जा सकती है और जिनके उल्लंघन पर सहायता बन्द, कम या निलंबित की जा सकती है;

(ठ) फीस और अन्य शुल्क जो एक सहायता प्राप्त विद्यालय द्वारा एकत्र किया जा सकता है;